



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी. / स्पीड पोस्ट / ई-मेल / फैक्स

क्र०- छ०ग०/कांकेर/लौ०अ०-०६/रायपुर
प्रति,

30 छ०ग० 08007

दिनांक :- 09/10/2018

श्री श्रवण कुमार गोयल, निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर,
सर्वश्री बजरंग पॉवर एवं इस्पात लिमिटेड,
ग्राम:- बोरझरा, उरला-गुमा रोड,
उरला ग्रोथ सेंटर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-493 221
फोन: 0771-4288019/29/39, ई मेल:- info.bjr@goelgroup.co.in

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी हहालव्दी लौह अयस्क खदान क्षेत्रफल 75.00 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 07/09/2018 को अधोहस्ताक्षरी एवं श्री राजेश कुमार दास व० स० खान नियंत्रक द्वारा श्री एस० के० आचार्य, खान ऐजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide letter no. KNK/FE/MPLN-995/NGP/2015 Nagpur dated 30/03/2016 for the period of 2014-15 to 2018-19: Development F.Y. 2017-18 and 2018-19: In addition to the proposed area for development and mineral production, the quarry has been extended and a haul road has been made towards eastern side up to 400 meters approx. There was a proposal given for development and mineral production up to the RL of 595 meters whereas the present working has reached up to the RL of 583 meters. Financial Assurance: In the given table for Financial Assurance, the area utilized under waste dump site has been mentioned as NIL hectares, whereas; around 1.00 hectare area has been utilized for stacking of waste.
Rule 37(2)	The existing protective measures taken around waste dump are insufficient and it has been found that the waste material was escaping and washing away from the dumps and was contaminating the nearby area. A proper protective measure should be taken to prevent the escape of the material from the existing waste dumps.
Rule 45 (7)	Monthly Returns; April 2018 to August 2018 and Annual Returns; F.Y. 2017-18: Since the entire produced mineral/ore from the mine has been consumed in the captive plant, therefore the Ex-Mine Price on the mineral/ore and the cost of production per ton for mineral/ore should not be different.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

कृ०पृ०प०.2.

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर